भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2498
03 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु मशीनीकरण को बढ़ावा देना

2498. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधनी राज्य क्षेत्र, दिल्ली राज्यों में फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान पंजाब को वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई है और उक्त वर्षो के दौरान कितनी राजसहायता जारी की गई है; और

(ग) क्या वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार विशेषकर पंजाब राज्य के लिए इस धनराशि के आवंटन में वृद्धि कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए अपेक्षित मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 1151.80 करोड़ रू. के केन्द्रीय कोष से कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के तहत, वैयक्तिक स्वामित्व आधार पर स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए किसानों को लागत के 50 प्रतिशत की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 80 प्रतिशत की दर पर है। किसानों के बीच जागरूकता सृजन करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एवं अन्य केंद्रीय ऐजेंसियों को भी वित्तीय सहायता दी जाती हैं।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान उपर्युक्त योजना के तहत निम्नलिखित धनराशि जारी की गई है:

राज्य/एजेंसी	**जारी की गई निधियां (रू. करोड़ में)**	
	2018-19	**2019-20**
पंजाब	269.38	273.80
हरियाणा	137.84	192.06
उत्तर प्रदेश	148.60	105.28
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	4.52
आईसीएआर और अन्य केन्द्रीय एजेंसियां	28.51	18.48
कुल	584.33	594.14

(ख): वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान पंजाब सरकार को क्रमश: 269.38 करोड़ रूपये एवं 273.80 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। पंजाब सरकार ने सूचित किया कि व्यक्तिगत किसानों एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों को राजसहायता पर दी गई 28609 मशीनों हेतु लाभार्थियों को 256 करोड़ रूपये संवितरित किए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 123 करोड़ रूपये की राशि अंतरित कर दी गई है।

(ग): उक्त योजना के तहत, पंजाब सरकार को अन्य राज्यों की तुलना में पहले ही अधिक निधियां आवंटित की गई है। पहले से जारी निधियों का उपयोग करने के पश्चात पंजाब राज्य सरकार को और अधिक निधियां दी जा सकती है।

*****